



क्रमांक एफ (20) आकाशि/पॉलिसी/नि.स./2022/425

दिनांक:- 28.2.2022

समस्त संस्था सचिव/अध्यक्ष,
पूर्व संचालित निजी महाविद्यालय,
राजस्थान।

विषय:- सत्र 2021-22 के लिए 2011 एवं इससे पूर्व स्थापित एवं संचालित निजी महाविद्यालय के स्थायी अनापत्ति प्रमाण-पत्र हेतु लंबित प्रकरणों के लिए शास्ति जमा करवाने हेतु अन्तिम अवसर बाबत।

संदर्भ:- समसंख्यक पत्र क्रमांक 424 दिनांक 28.2.2022

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित पत्र के क्रम में निर्देशानुसार लेख है कि जिन पूर्व संचालित संस्थाओं के सत्र 2021-22 के लिए स्थायी अनापत्ति प्रमाण-पत्र के प्रकरण लम्बित है, को संदर्भित आदेश अनुसार शास्ति जमा करवाने हेतु इस आदेश के जारी होने की तिथि से 15 दिवस तक का अन्तिम अवसर प्रदान किया जाता है। शास्ति जमा करवाने पर महाविद्यालय को सत्र 2021-22 हेतु एक सत्र के लिए अस्थायी अनापत्ति प्रमाण-पत्र अभिवृद्धि जारी की जावेगी।

अ.स.

संयुक्त निदेशक (नि.स.)
कॉलेज शिक्षा राजस्थान

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. विशिष्ट सचिव, उच्च शिक्षा मंत्री, राजस्थान।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च शिक्षा, राजस्थान।
3. निजी सचिव, आयुक्त कॉलेज शिक्षा, राजस्थान।
4. समस्त सहायक निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, कॉलेज शिक्षा राजस्थान।
5. सम्बन्धित प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, राजस्थान।
6. वेबसाईट प्रभारी आयुक्तानलय कॉलेज शिक्षा जयपुर को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. रक्षित पत्रावली।

अ.स.

संयुक्त निदेशक (नि.स.)
कॉलेज शिक्षा राजस्थान